

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री हुक्मीचन्द रोहलानिया, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 17 / 2024 GCMS-2024/30

वादीगण :-

1. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल मंत्री जाति माहेश्वरी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान हाल बैंगलोर।
2. शंकर पुत्र कुंदनमल जाति कुमावत निवासी कुचामन
3. सुन्दर देवी पत्नि कुंदनमल जाति कुमावत निवासी कुचामन तहसील कुचामन जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. आरिफ खान पुत्र अब्दुल अजीज खान जाति कायमखानी निवासी कुचामनसिटी
2. कन्हैयालाल पुत्र खेताराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
3. प्रवीण शर्मा पुत्र कैलाश चन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी
4. राजश्री जाजु पुत्री हेमराज मानधनिया जाति माहेश्वरी निवासी कुचामनसिटी हाल निवासी पूर्वी दिल्ली
5. सुखदेव पुत्र खेताराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
6. सीता पुत्र कुंदनमल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
7. रामपाल पुत्र खेताराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
8. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) जिला डीडवाना - कुचामन राजस्थान
9. मेवाराम पुत्र रुघाराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील नावां जिला डीडवाना-कुचामन दावा- इस्तकरार हक व भू-विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :- श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।


श्री मेवाराम अधिवक्ता, श्री प्रवीण शर्मा अधिवक्ता प्रति. 1, 3, 9

निर्णय

दिनांक :- 20/08/2024

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भू.अ./2024/1962 दिनांक 05.08.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 26.07.2024 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। बहस में वादी के अधिवक्ता ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 16.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :-


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)




तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान खातेदार ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2263 रकबा 3.79 हैक्टर में बिन्दू संख्या A रकबा 0.1101 हैक्टर पर वादी सं. 2 शंकर हि. 0.0092 हैक्टर, वादी संख्या 3 सुन्दर देवी हि. 0.0092 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 2 कन्हैयालाल हि. 0.0245 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 सुखदेव हि. 0.0275 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 6 सीता 0.0092 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 रामपाल हि. 0.0275 हैक्टर व मार्क बिन्दू B(3.4399 है.) पर वादी ओमप्रकाश हि. 2.4851 हैक्टर, प्रति.सं. 1 आरिफ खान हि. 0.3440 हैक्टर, प्रति. सं. 3 प्रवीण शर्मा हि. 0.2293 हैक्टर, प्रति. सं. 4 राज श्री हि. 0.0346 हैक्टर, प्रति. सं. 9 मेवाराम हि. 0.3463 हैक्टर, तथा मार्क C (रकबा 0.24 हैक्टर) पर राज.सरकार (सिलिंग से सिवाय चक) हि. 0.24 हैक्टर पर कब्जा होना बताय गया है तथा उपरोक्तानुसार ही जोत का विभाजन करवाना चाहते हैं। उभय पक्ष अधिवक्ता वादीगण की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2263 रकबा 379 हैक्टर में बिन्दू संख्या A रकबा 0.1101 हैक्टर पर वादी सं. 2 शंकर हि. 0.0092 हैक्टर, वादी संख्या 3 सुन्दर देवी हि. 0.0092 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 2 कन्हैयालाल हि. 0.0245 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 सुखदेव हि. 0.0275 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 6 सीता 0.0092 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 रामपाल हि. 0.0275 हैक्टर व मार्क बिन्दू B(3.4399 है.) पर वादी ओमप्रकाश हि. 2.4851 हैक्टर, प्रति.सं. 1 आरिफ खान हि. 0.3440 हैक्टर, प्रति. सं. 3 प्रवीण शर्मा हि. 0.2293 हैक्टर, प्रति. सं. 4 राज श्री हि. 0.0346

उपस्थित अधिकारी
 कुचामन सिटी (डी.बनान कुचामन)

एकर प्रति ल 9 मेधाराम हि 0.3483 हैक्टर तथा मार्ज C (एकवा 0.24 हैक्टर) पर राज सरकार (सिनिग से सिवाय कक) हि 0.24 हैक्टर के खातेदार काइतकार घोषित किये जाले है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा परस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 26/07/2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प इयूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शों में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20/08/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हुकमीवन्द) 
जयपुरास अधिकारी
कुचामन सिटी (सिनिग) कुचामन

डिक्री मुकदमा इक्टोवाई
(ओ 20 कल 6-7 जावत दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

बइजलास : हुक्मीचन्द रोहलानिया, (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :- 17 / 2024 GCMS-2024/30

वादीगण :-

1. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल मंत्री जाति माहेश्वरी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान हाल बैंगलोर।
2. शंकर पुत्र कुंदनमल जाति कुमावत निवासी कुचामन
3. सुन्दर देवी पत्नि कुंदनमल जाति कुमावत निवासी कुचामन तहसील कुचामन जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. आरिफ खान पुत्र अब्दुल अजीज खान जाति कायमखानी निवासी कुचामनसिटी
2. कन्हैयालाल पुत्र खेताराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
3. प्रवीण शर्मा पुत्र कैलाश चन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी
4. राजश्री जाजु पुत्री हेमराज मानधनिया जाति माहेश्वरी निवासी कुचामनसिटी हाल निवासी पूर्वी दिल्ली
5. सुखदेव पुत्र खेताराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
6. सीता पुत्र कुंदनमल जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
7. रामपाल पुत्र खेताराम जाति कुमावत निवासी कुचामनसिटी
8. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी) जिला डीडवाना - कुचामन
9. मेवाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील नावां जिला डीडवाना-कुचामन
दावा- इस्तकारार हक व भू-विभाजन अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. टिनेन्सी एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी..... मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री मेवाराम एवं श्री प्रवीण शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2263 रकबा 379 हैक्टर में बिन्दू संख्या A रकबा 0.1101 हैक्टर पर वादी सं. 2 शंकर हि. 0.0092 हैक्टर, वादी संख्या 3 सुन्दर देवी हि. 0.0092 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 2 कन्हैयालाल हि. 0.0245 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 सुखदेव हि. 0.0275 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 6 सीता 0.0092 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 रामपाल हि. 0.0275 हैक्टर व मार्क बिन्दू B(3.4399 है.) पर वादी ओमप्रकाश हि. 2.485 हैक्टर, प्रति.सं. 1 आरिफ खान हि. 0.3440 हैक्टर, प्रति. सं. 3 प्रवीण शर्मा हि. 0.2293 हैक्टर, प्रति. सं. 4 राज श्री हि. 0.0346 हैक्टर, प्रति. सं. 9 मेवाराम हि. 0.3463 हैक्टर, तथा मार्क C (रकबा 0.24 हैक्टर) पर राज.सरकार (सिलिंग से सिवाय चक) हि. 0.24 हैक्टर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 26.07.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज मुबलिग बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 08 सन् 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुताबकत	रुपये	पैसे
बनारस अली दादा			बनारस अली दादा		
बनारस अली दादा			बनारस अली		
बनारस अली दादा			बनारस अली		
बनारस अली दादा			बनारस अली		
बनारस अली दादा			बनारस अली		
बनारस अली दादा			बनारस अली		
बनारस अली दादा			बनारस अली		
बनारस अली दादा			बनारस अली		
बनारस अली दादा			बनारस अली		
बनारस अली दादा			बनारस अली		

नोट इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


 उपखण्ड अधिकारी
 कुचामन सिटी (डीडबाना) कुचामन